

# नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.)-492002  
कार्यालय फोन : 0771-2512500, फ़ैक्स : 0771-2512400 ई-मेल ceo@nayaraipur.com

---

क्र./ 471 /6(2)/राज्योत्सव/संपदा/एन.आर.डी.ए./2015 नया रायपुर, दिनांक 25 /10/2016

## “संशोधित प्रेस विज्ञप्ति”

नया रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल ग्राम-तूता नया रायपुर में दिनांक 01 नवम्बर से 05 नवम्बर 2016 तक आयोजित होने वाले राज्योत्सव के दौरान वाहनों की पार्किंग के लिए दिनांक 14.10.2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुए पार्किंग क्रमांक C, D, E के लिए दिनांक 28.10.2016 को 12.00 बजे तक अवधि बढ़ाई जाती है तथा उसी दिन 1.00 बजे पर्यावास भवन, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के सभाकक्ष में लाटरी संपन्न की जावेगी।

महाप्रबंधक (प्रशासन)  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी  
नया रायपुर (छ.ग.)

श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, सेक्टर-23, राज्योत्सव स्थल  
ग्राम-तूता हेतु पार्किंग स्थल के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी,  
पर्यारवास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,  
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, सेक्टर-23, राज्योत्सव स्थल ग्राम-तूता हेतु  
वाहन पार्किंग/लाइसेंस पर दिये जाने के लिए आवेदन।

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता, नया रायपुर परियोजना के प्रभावित व्यक्ति हैं। कृपया हमारे समूह को दिनांक 01 नवम्बर 2016 से 05 नवम्बर 2016 को नया रायपुर स्थित श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, सेक्टर-23, राज्योत्सव स्थल ग्राम-तूता हेतु पार्किंग स्थल क्रमांक ..... का आबंटन करने का कष्ट करें।

1. आवेदक गण का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता/मोबाईल नंबर-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

2. अनुभव (यदि कोई हो तो) का विवरण .....

3. संस्था का पंजीयन क्रमांक-.....(पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4. पेन कार्ड नंबर - -.....

5. अमानत राशि का विवरण (रु. 5,000/-)

दिनांक- .....

स्थान- .....

आवेदक के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

स्व घोषणा

हमने पार्किंग स्थल आबंटन संबंधी नियमों को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है। इस आबंटन के लिए लाटरी व्यवस्था एवं अन्य सभी शर्तें एवं दर हमें स्वीकार हैं। हमारी समिति परियोजना प्रभावितों की समिति है। हम निर्धारित लाइसेंस शुल्क आबंटन के तुरंत पश्चात् जमा करने में सहमत हैं।

दिनांक- .....

स्थान- .....

आवेदक के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

संलग्न प्रपत्र-

1. अमानत राशि की रसीद की छायाप्रति।
2. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. पेन कार्ड की छायाप्रति।

## नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, सेक्टर-23, राज्योत्सव स्थल ग्राम-तूता के लिये पार्किंग व्यवस्था के नियम एवं शर्तें

- (1) नया रायपुर स्थित श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, सेक्टर-23, राज्योत्सव स्थल ग्राम-तूता में दिनांक 01 नवम्बर 2016 से 05 नवम्बर 2016 तक 05 दिवसों में आयोजित होने वाले राज्योत्सव के लिए 5 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थलों का समतलीकरण, प्रकाश व्यवस्था, बेरिकेटिंग, पानी की सुविधा, कंट्रोल रूम एवं पंडाल की व्यवस्था एनआरडीए द्वारा की जा रही है।
- (2) पार्किंग स्थलों पर पार्किंग के संचालन के लिए परियोजना प्रभावित पंजीकृत समितियों को (जनपद सहित) आबंटन किया जायेगा। किसी पार्किंग क्रमांक के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी के द्वारा आबंटन किया जायेगा। किसी समिति को एक से अधिक पार्किंग सेक्टर के आबंटन की पात्रता नहीं होगी।
- (3) पार्किंग संचालन के एवज में वाहन धारकों से निम्नांकित शुल्क लिये जायेंगे:-

क्रमांक	वाहन का प्रकार	एक बार पार्किंग का शुल्क
01	सायकल	रुपये 2/-
02	दुपहिया वाहन	रुपये 10/-
03	मोटर कार	रुपये 30/-
04	छोटे युटिलिटी वाहन	रुपये 30/-
05	बस एवं बड़े युटिलिटी वाहन	रुपये 50/-

- (4) पार्किंग स्थलों का 05 दिवसों के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क-

क्र0	पार्किंग स्थल का विवरण	लाइसेंस शुल्क रूपयों में
1	पार्किंग क्रमांक C मिक्स	रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)
2	पार्किंग क्रमांक D मिक्स	रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)
3	पार्किंग क्रमांक E मिक्स	रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र)

- (5) पार्किंग संचालन करने वाले समिति की निम्नांकित जवाबदारी होगी-
  1. दिनांक 01 नवम्बर 2016 को वाहन पार्किंग के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। ठेकेदार अपने स्टाफ द्वारा पार्किंग की व्यवस्था करायेगा।
  2. पार्किंग स्थल पर वाहन को सुव्यवस्थित तरीके से लगाया जाना, उनका प्रवेश एवं निर्गम सरलता से हो, यह सुनिश्चित किया जाना।
  3. सांकेतिक सूचना फ्लैक्स, पार्किंग शूल्क सूची आदि की छपाई एवं प्रदर्शन की व्यवस्था करना।
  4. प्रत्येक दिवस पार्किंग स्थल पर मेनगेट को छोड़कर, भीतर में टिकट काटने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करना।
  5. निर्धारित पार्किंग स्थल के बाहर वाहनों का न रखा जाना सुनिश्चित करना।
  6. पार्किंग स्थल में रखे गये वाहनों की सुरक्षा करना।
  7. पार्किंग शुल्क के लिए निर्धारित शुल्क कूपन की पर्याप्त संख्या में छपाना, सुव्यवस्थित तरीके से निर्धारित वाहनों के अनुसार टिकट काटना एवं शुल्क वसूल करना।
  8. पार्किंग स्थल का अन्य उपयोग नहीं करना और न ही अन्य उपयोग करने देना।
  9. शांति व्यवस्था बनाये रखना एवं प्रशासन को सहयोग देना।
  10. पार्किंग स्थल से वाहन आदि की चोरी होने की दशा में क्षतिपूर्ति की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
  11. दिनांक 06.11.2016 को प्रातः 11.00 बजे तक पार्किंग स्थल खाली कर वापस एनआरडीए को सौंपना।
  12. लायसेंस शुल्क, आबंटन के 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।
- (6) पार्किंग स्थल का आबंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। लॉटरी की प्रक्रिया दिनांक 28.10.2016 को दोपहर 1.00 बजे से पर्यावास भवन, एनआरडीए कार्यालय के तृतीय तल के सभाकक्ष में प्रारंभ की जावेगी।